प्रेस विज्ञप्ति
27/11/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोझीकोड उप-आंचलिक कार्यालय ने 26/11/2024 को इस्माइल चक्करथ को एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में गिरफ्तार किया है, जिसमें कतर में प्राप्त व्यापार ऋण सुविधाओं को अवैध रूप से भारत में डायवर्ट किया गया था। कतर में अर्जित अपराध की आय (पीओसी) को भारत में अचल संपत्तियों में निवेश किया गया था। उन्हें माननीय द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोझीकोड के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 10/12/2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने मेसर्स ग्रैंड मार्ट ट्रेडिंग, कतर के व्यवसाय विकास के लिए यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, कतर से क्यूएआर 30,643,204 (लगभग 61.3 करोड़ रुपये) के ऋण न चुकानेके लिए आईपीसी, 1860 की धारा 420 के तहत केरल पुलिस अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू, कन्नूर और कासरगोड यूनिट) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ऋणों को न तो चुकाया गया था और न ही व्यापार विस्तार के घोषित उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था और ऋणदाता को ऋण की वसूली के लिए आगे की कार्रवाई करने से वंचित करके अवैध रूप से भारत में भेज दिया गया था।

ईडी की जांच में पता चला कि ऋण को भारत भेज दिया गया और केरल के वायनाड में बेनामी लेनदेन में निवेश किया गया। 2.02 करोड़ रुपये का उपयोग कथित तौर पर अचल संपत्ति की खरीद के प्रयास के लिए किया गया था, जिसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था। धन कथित विक्रेता के कब्जे में रहा। इन फंडों का उपयोग करके अर्जित संपत्तियों और परिसंपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व को अस्पष्ट करने के लिए उनके सहयोगी के नाम पर रखा गया था।

पीएमएलए, 2002 के तहत चक्करथ और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें नकदी, संभावित सबूतों वाले मोबाइल फोन और अपराध संकेती दस्तावेज जब्त किए गए। पीओसी के आगे दुरुपयोग को रोकने के लिए चक्करथ से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था। बेनामी संपत्तियों मेंऔर निवेश से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए।

पीएमएलए के तहत दर्ज बयानों ने संपत्ति अधिग्रहण और निवेश के लिए महत्वपूर्ण राशि के डायवर्जन और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उनकी भागीदारी की पुष्टि की।

आगे की जांच जारी है।